प्रौढ़ शिक्षा

जनवरी 2012
वर्ष 56 अंक-6

सम्पादक मण्डल

प्रो. भवानीशंकर गर्ग

ए.एच.खान
डा. एल.राजा
डा. मदन सिंह
ए.एल.भार्गव
इन्दिरा पुरोहित
दुर्लभ चेतिया
मृणाल पंत
के.आर.सुशीले गौडा
प्रफुल्ल नागर

सहायक सम्पादक
बी. संजय

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनके लिए संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

मूल्य : 100 रूपये वार्षिक

इस अंक में

सम्पादकीय

बाल सुधार गृह में संचालित विविध गतिविधियों का बाल अपराधियों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति पर प्रभाव : एक अध्ययन
– शैलजा मिश्रा 4

महिला साक्षरता विकास हेतु साक्षर भारत कार्यक्रम का दृष्टिकोण
– रश्मि पन्त 14

महिलाओं के मानवाधिकार और आजीवन शिक्षण
– भारती जोशी 20

भारतीय आधुनिक शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए अनुवर्ती सेवा की प्रासंगिकता
– महेन्द्र पाटीदार 24

विद्यालय और उच्च स्तर पर शिक्षा में सुधार के प्रयास 34

हमारे लेखक 40

सम्पादकीय

– बी. संजय

बाल सुधार गृह में संचालित विविध गतिविधियों का बाल अपराधियों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति पर प्रभाव का अध्ययन

शैलजा मिश्रा

बालक परमात्मा का एक अनुपम उपहार है। वह संसार में ढेर सारी सम्भावनाएं लेकर आता है। उसमें समाज को नई दिशा देने का सामर्थ्य होता है। परन्तु, यह कार्य तभी सम्भव है जब उस नन्हें बालक में निहित सम्भावनाओं एवं सामर्थ्य का समुचित विकास हो सके। हमारा वातावरण जिसमें हम रहते हैं, बहुत सी बुराइयों से भरा हुआ है और इस दूषित वातावरण का जब बालक से सम्पर्क होता है तब वह इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। कुछ बालक तो केवल दुर्भाग्यवश इस मायाजाल के चंगुल में आ फंसते हैं और अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण एवं अस्वच्छ वातावरण में पलकर आत्महीनता के शिकार हो जाते हैं। ये सभी परिस्थितियाँ मिलकर बालक को विवेकहीन बना देती हैं और वह मादक पदार्थों का सेवन, तस्करी, चोरी एवं अन्य अपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाता है तथा किशोर न्यायालय में दण्डित होकर बाल अपराधी बन जाता है।

सन् 1986 में किशोर न्याय अधिनियम सं 53 में बाल–अपराधियों के लिए व्यवस्था की गई एवं उक्त अधिनियम की उपधारा (9) के माध्यम से राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया कि वे समाज द्वारा उपेक्षित किशोरों के लिए बाल सुधार गृहों की व्यवस्था करे। इन सुधार गृहों में समाज द्वारा तिरस्कृत अपराधी बालकों का भरण–पोषण किया जाता है तथा उन्हें एक सुयोग्य नागरिक बनाकर समाज का एक अभिन्न अंग बनाने का प्रयास किया जाता है। उक्त अधिनियम के अनुसार बाल सुधार गृह में भेजे जाने वाले बालकों की अधिकतम आयु 16 वर्ष निश्चित की गई।

किशोर न्याय अधिनियम 1986 में कुछ संशोधन किये गये एवं सन् 2000 में उक्त अधिनियम का नाम संशोधित कर Juvenile Justice (Care and Protection of Children Act 2000) रखा गया जिसमें 18 वर्ष तक के बालकों को सम्मिलित किया गया।

देश–विदेश में अपराधी बालकों को लेकर अनेक शोध–कार्य हुए हैं जिसमें गिलिन (1950), मेहल (1975), रेड्डी (1976), हिम्डेलना, हिर्सची एवं वीस (1979), मैके एवं ब्रमबैंक

(1980), जिमरमैन (1981), ब्राइट एवं सिमेलर (1984), शंकर (1984), लेरसन (1986), डनीवैन्ट (2001), नीलम (2005), प्रो0 एस0सी0 गकहार एवं प्रेमलता (2010) आदि प्रमुख हैं। इन प्रमुख शोधकर्ताओं के अध्ययन पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि बाल–अपराध के प्रमुख कारणों में चोरी करना तथा मारपीट करना आदि प्रमुख हैं।

परन्तु इसके अतिरिक्त भी कुछ कारण हैं जो कि शोध के दौरान देखे गये। अधिकांश बाल–अपराधी बच्चों को छोटे–छोटे अपराधों अथवा कई मामलों में निरपराध होने पर भी बाल–अपराधी होकर इन बाल–सुधार गृहों में अवरुद्ध रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है; उदाहरण के लिए कुछ ऐसे बाल–अपराधी पाये गये जो आकस्मिक धन–अभाव के कारण बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये और इस छोटे से अपराध के लिए लम्बे समय से इन सुधार गृहों में कैद हैं। इसी प्रकार कुछ बाल–अपराधी ऐसे भी देखे गये जिनके परिवार में किसी नव–विवाहिता की आकस्मिक मृत्यु ने दहेज हत्या का रुप ले लिया, और इस स्थिति में पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ऐसे में उस परिवार का एक छोटा सा बालक भी अपराधी घोषित हो बाल–सुधार गृह लाया गया।

समय के कुचक्र में फंसकर और विषम एवं कठोर परिस्थितियों में रहकर इन तथाकथित अपराधी बालकों में शिक्षित नागरिक बनने की चाह समाप्त हो जाती है, यह कहना ठीक नहीं होगा। बाल सुधार गृहों की गतिविधियों के प्रभावस्वरुप इन बालकों के अन्दर छिपी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का विकास हो पाता है या नही; इस प्रश्न का उत्तर पाने की जिज्ञासा की तृप्ति हेतु यह शोधकार्य किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्यः बाल सुधार गृहों में संचालित गतिविधियों का बाल–अपराधियों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

परिकल्पनाएंः उपर्युक्त निर्धारित उद्देश्य का गहनता से अध्ययन करने हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया–

मुख्य–परिकल्पनाः ''बाल–सुधार गृहों में संचालित गतिविधियों का बाल अपराधियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।''

उप–परिकल्पनाएं

1. बाल–सुधार गृहों में संचालित गतिविधियों का साक्षर बाल–अपराधियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. बाल–सुधार गृहों में संचालित गतिविधियों का असाक्षर बाल–अपराधियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
3. बाल–सुधार गृहों में संचालित गतिविधियों का 15 वर्ष तक के बाल–अपराधियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
4. बाल सुधार गृहों में संचालित गतिविधियों का 15 वर्ष से अधिक बाल–अपराधियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
5. बाल सुधार गृहों में संचालित गतिविधियों का नगरीय बाल अपराधियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
6. बाल सुधार गृहों में संचालित गतिविधियों का ग्रामीण बाल–अपराधियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या : प्रस्तुत शोध–अध्ययन के अन्तर्गत बरेली–मण्डल से सम्बद्ध सभी बाल सुधार गृहों में रहने वाले बाल–अपराधी लिये गये हैं; जिन्हें अध्ययन से अधिकतम 1 माह पूर्व ही इन सुधार गृहों में लाया गया था।

न्यादर्श : प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयोगात्मक न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है। बरेली मण्डल के अन्तर्गत आने वाले 4 जनपद– बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूँ, पीलीभीत के बाल सुधार गृहों से उन 40 बाल–अपराधियों को लिया गया हैं, जिन्हें अध्ययन से 1 माह पूर्व ही लाया गया, क्योंकि इस समय तक इन पर सुधार गृहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

उपकरण : प्रस्तुत शोध अध्ययन में ऑकड़ों को प्राप्त करने हेतु एस. एल. चोपड़ा द्वारा निर्मित शैक्षिक अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया।

परिणाम एवं विवेचना

बाल सुधार गृहों के बाल–अपराधियों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर इन सुधार गृहों के प्रभाव को देखने हेतु एस. एल. चोपड़ा द्वारा निर्मित शैक्षिक अभिवृत्ति मापनी को सर्वप्रथम उन सभी बाल–अपराधियों पर प्रशासित किया गया जो अध्ययन से ठीक 1 माह पूर्व लाये गये थे, तत्पश्चात् इन्हीं दोनों परीक्षणों को इन्हीं बालकों पर उसके ठीक 1 वर्ष पश्चात् पुनः प्रशासित किया गया। दोनों समय के ऑकड़ों का सर्वप्रथम प्रतिशत के रूप में प्रभाव देखा गया फिर दोनों समय के ऑकड़ों के मध्य टी–परीक्षण लगाकर सुधार गृहों के प्रभाव का अध्ययन किया गया।

तालिका
बाल अपराधियों के शैक्षिक अभिवृत्ति प्राप्ताँक

प्राप्तांक	बाल अपराधियों के शैक्षिक अभिवृत्ति प्राप्ताँक			
	प्रशिक्षण से पूर्व प्राप्तांक		प्रशिक्षण के पश्चात् प्राप्तांक	
	बाल अपराधियों की संख्या	प्रतिशत	बाल अपराधियों की संख्या	प्रतिशत
5	2	5.00%	–	–
6	3	5.25%	–	–
7	6	15.00%	–	–
8	5	12.50%	3	5.25%
9	5	12.50%	3	5.25%
10	5	12.50%	5	12.50%
11	4	10.00%	4	10.00%
12	2	5.00%	3	5.25%
13	1	2.50%	6	15.00%
14	1	2.50%	4	10.00%
15	1	2.50%	2	5.00%
16	–	–	1	2.50%
17	–	–	3	5.25%
18	1	2.50%	1	2.50%

तालिका 1 में प्रदर्शित बाल–अपराधियों के बाल–सुधार गृहों में लाये जाने से पूर्व और 1 वर्ष प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरान्त शैक्षिक अभिवृत्ति प्राप्तांकों को निम्न रूप से आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है–

बाल अपराधियों के प्रशिक्षण पूर्व और पश्चात शैक्षिक अभिवृत्ति प्राप्तांको का चित्र रेखीय प्रदर्शन

तालिका –1 में प्रदर्शित प्राप्तांकों की सहायता से विश्लेषण हेतु निम्नलिखित प्राचल प्राप्त किये गये हैं–